2025/260

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
कैलाश कुंवर पुत्री श्री सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नि श्री गगनसिंह जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

किस्म मुकदमा– स्थगन प्रार्थना–पत्र

मुकदमा नं. 21 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.09.2025	प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा क्रमांक 29542 दिनांक 23.06.2024 को निरस्त कराने हेतु पूर्व में प्रस्तुत निगरानी के आवेदन के क्रम में धारा 97(2) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राव एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उस भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा है एवं उक्त कब्जे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा दिनांक 27.01.2002 को प्रार्थी को कब्जा भोगवटा प्रमाण भी जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा कुछ पत्थर भी डलवाए हुए है, इसके उपरान्त भी उक्त कब्जा भोगवटे के भूखण्ड पर अप्रार्थी निर्माण कार्य करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निगरानी निर्णित होने तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी करावें कि अप्रार्थी उक्त कब्जे भोगवटे के भूखण्ड पर किसी भी प्रकार की तोड फोड नहीं कर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे। इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है एवं न ही उनके द्वारा उक्त भूखण्ड पर कहीं पर भी पत्थर डलवाए हुए है। प्रार्थी केवल मात्र दिनांक 27.01.2002 के कब्जे भोगवटे के आधार पर अपना कब्जा बता रहा है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के बाद में जारी सभी कब्जे भोगवटों को जिला कलक्टर महोदय सिरोही द्वारा अवैध माना है एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में एक आदेश भी जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। दोनों पक्षों की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 29542 दिनांक 23.06.2024 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट का जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता	

जिला कलेक्टर, सिरोही

का मुख्यतः तर्क है कि उक्त विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.01.2002 को लिए गए प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 27.01.2002 को प्रार्थी के हक में कुल 8910 वर्गफीट का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कब्जा भोगवटा/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावंधान नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी कब्जा/स्वामित्व प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसके उपरान्त कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भी अपने पत्रांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.05.2002 को आदेश जारी कर समस्त ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति को सूचित किया था कि राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 दिनांक 30.12.1996 को लागू हो चुके है एवं इस नियम के तहत कब्जे भोगवटे प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायत वीरवाड़ा द्वारा प्रार्थी के हक में दिनांक 27.01.2002 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया था, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के लागू होने के पश्चात जारी किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा--निर्देश एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 18.05.2002 को जारी आदेश के अवलोकन से ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा दिनांक 27.01.2002 को प्रार्थी के हक में जारी उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है। जहां तक अप्रार्थी को जारी उक्त विवादित पट्टे का सवाल है तो प्रश्नगत पट्टे की विधिकता या औचित्य के बारे में या पट्टा जारी करते समय की गई कार्यवाहियों की अनियमितता के बारे में गुणावगुण पर परीक्षण मूल निगरानी प्रार्थना में उभय पक्ष द्वारा जवाब एवं दस्तावेज पेश करने के उपरान्त एवं उभय पक्ष की बहस सुनकर किया जा जाएगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस स्थगन प्रार्थना को पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner